न्यायालय सहायक कलेक्टर, (द्वितीय) सीकर

पीठासीन अधिकारी-- श्रीमती मुनेश कुमारी (आर.ए.एस)

1. मु. नं. 38/2010/टीआई

शिवपाल पुत्र मांगू दोहिता गोविन्दाराम जाति बलाई निवासी फतेहपुरा तहसील व जिला सीकर

—प्रार्थी

बनाम

1— मोबाराम (फौत)

1/1 दामोदरी पत्नी स्व. मोबाराम

1/2 सुरेन्द्र

1/3 धर्मेन्द्र

पुत्रगण स्व. मोबाराम

1/4 बुलकेश उर्फ रोशनी पुत्री स्व0 मोबाराम

समस्त जाति बलाई निवासी सांगासर तहसील रतनगढ जिला चुरू

2— बनारसी पुत्री सुरजाराम निवासी भैरूपुरा तहसील व जिला सीकर

3— मोहनी (नाम हजफ)

4— शंकर दतक पुत्रसुरजाराम बलाई निवासी परडोलो छोटी तहसील व जिला सीकर

5— रामकुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी परडोली छोटी तहसील व जिला सीकर

6— उप पंजीयक, सीकर

7— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सीकर

— अप्रार्थीगण

आवेदन 212 आरटी ऐक्ट बाबत प्रसारित किये जाने अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1— श्री महेश जांगिड़ वकील प्रार्थी की ओर से

2— श्री प्रभाती लाल वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से

3— श्री भगवान सिंह वकील अप्रार्थी सं. 16 की ओर से

2. मु.नं. 110/09/टीआई

1. चिमनाराम (मृत) पुत्र मांगू दोहिता गोविन्दाराम

1/1 संतोष कुमार उम्र 30 वर्ष

1/2 शंकरलाल उम्र 28 वर्ष

1/3 प्रभुदयाल उम्र 26 वर्ष

1/4 तिलोक उम्र 24 वर्ष

1/5 परमेशर उम्र 22 वर्ष

1/6 प्रमोद उम्र 20 वर्ष

पुत्रगण स्व. चिमनाराम

1/7 संतोषी देवी उम्र 45 वर्ष पुत्री स्व. चिमनाराम

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

1/8 धन्नी देवी उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व. चिमनाराम
1/9 श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व. चिमनाराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण देवरा तन नेछवा तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर

2. मनकोरी पुत्री गोविन्दाराम (मृत)
   2/1 रामेश्वर
   2/2 भगूराम
   पुत्रगण मनकोरी नाना गोविन्दाराम जाति बलाई निवासीगण परडोली छोटी तहसील धोद जिला सीकर
3. गणेश पुत्र कुशला दोहिता गोविन्दाराम जाति बलाई निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर
4. गोपाल
5. कैलाश
6. राजू
   पुत्रगण स्व. शिवपाल दोहिता गोविन्दाराम के वंशज जाति बलाई निवासीगण सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर
7. नाराणी पुत्री कुशला दोहिती गोविन्दाराम निवासी दंतुजला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. सुगनी देवी बेवाह शिवपाल
9. संतराम पुत्री शिवपाल उम्र 22 वर्ष जाति बलाई
   निवासीगण सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर

— प्रार्थीगण

ब ना म

1. मोबाराम (मृत)
   1/1 दामोदर देवी पत्नी मोबाराम
   1/2 सुरेन्द्र उम्र 22 वर्ष पुत्र मोबाराम
   1/3 धर्मेन्द्र उम्र 20 वर्ष पुत्र मोबाराम
   1/4 बुलकेश उर्फ रोशनी पुत्री मोबाराम
   समस्त जाति बलाई निवासीगण सांगासर तहसील रतनगढ जिला चुरू
2. बनारसी देवी पुत्री स्व. सुरजाराम बलाई निवासी भैरूपुरा जागीर वाया सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर
3. उप पंजियक, तहसील धोद जिला सीकर

— अप्रार्थीगण

आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अं.धारा 212 आरटीए

उपस्थितिः—

1. श्री भीमसिंह एडवोकेट —प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रभाती लाल वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

उक्त दोनों पत्रावलियां एक ही भूमि से सम्बन्धित है इसलिए दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाता है।

निर्णय दिनांक:- 30/09/22

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजियात खसरा नं 283 रकबा 1.34 है0, खसरा नं. 284 रकबा 1.28 है0, 304 रकबा 0.05 है0 किता 3 कुल रकबा 2.67 है0 वाके ग्राम परडोली छोटी तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिनके पुराने खसरा नं. 257 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नं. 130 रकबा 3 बिस्वा थे जो कि पक्षकारान के पूर्वज गोविन्दराम पुत्र बालाराम की खातेदारी की जमीन है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण गोविन्दाराम के जीवन काल में उनके साथ व उनकी मृत्यु के बाद उनके वैध उतराधिकारी के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है। सजरा खनदान के अनुसार गोविन्दराम के 2 लड़के सुरजाराम व चन्द्राराम व 4 लड़किया गुटी, झिनकु, पतासी व मनकोरी पैदा हुए जिनमें से चन्द्राराम व मनकोरी जिन्दा है एवं शेष की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार गोविन्दाराम की निर्वसीयती हिन्दू के रूप में संवत् 2015 में मृत्यु यहो गयी तथा विरासत का ना.करण सं. 11 अकेले दो पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उस समय गोविन्दाराम के 4 लड़कियां भी वादगस्त भूमि पर अपने दो भाईयों के साथ काबिज काश्त थी। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों अनुसार पुत्र एवं पुत्रियों के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी होने के नाते कानूनन बराबर हिन्सा बनता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि आराजी है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। गोविन्दाराम के वंशज वादग्रस्त भूमियों में शामिल में ही काश्त करते चले आ रहे है। गोविन्दाराम की मृत्यु पर विरासत का ना.करण सं. 11 गलत रूप से अप्रार्थी सं. 2 व दावे में प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/2 1/2 हिस्से में खोल दिया गया व अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने दतक पुत्र अप्रार्थी सं. 5 को उसके हिस्से से वंचित करते हुए ना.करण सं. 441 अपनीदो पुत्रियों अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम 1/2 हिस्से में लगवा लिया जबकि उनका वास्तव में 1/6 कानूनन बनता था तथा गलत खातेदारी के आधार परएक बेनामी संव्यवहार के तहत अप्रार्थी सं. 1 के हक में एक नुमाशी विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2009 को अप्रार्थी सं. 7 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया। जिसको निरस्त करवाने की कार्यवाही अपर जिला जज के यहां विचाराधीन है। प्रतिवादी सं. 1 ग्राम सांगासार का निवासी है जिसने विक्रय पत्र के तहत न तो कोई कब्जा प्राप्त किया और न ही कोई कब्जा संभलाया जाना कानूनन संभव था। वादग्रस्त भूमियों के सीवाजोड़ पड़ौसी अप्रार्थी सं. 6 जो कि सवर्ण जाट जाति का व्यक्ति होकर शराब माफिया व भू माफिया गिरोह का सदस्य है तथा वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा कर अपनी खातेदारी की भूमियों में मिलाने की कुचेष्टा में है। इसी कुचेष्टा के तहत अपने साथ भू माफिया गिरोह के सदस्यों को साथ लेकर वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने व वादी के परिवारजनों के साथ छेड़छाड़, मारपीट, जातिसूचक

सहायक कलेक्टर (द्वितीय)सीकर

गालीगलौच करने की कुचेष्टा की जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 283, 284, 304 किता 3 कुल रकबा 2.67 है0 वो ग्राम परडोली छोटी तहसील व जिला सीकर पर से प्रार्थी को बलात बेदखल कर कब्जा करने, नींव सींव तोड़ फोड़ करने, मौका सूरत बदलने, वादग्रस्त भूमियों को विक्रय रहन करनेसे बाज रहे तथा तादौराने वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि आराजियात होने के कारण प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को बेदखल कर देंगे तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को हागी। मामले में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 283, 284, 304 किता 3 कुल रकबा 2.67 है0 वाके ग्राम परडोली छोटी तहसील व जिला सीकर पर से वादीगण को बलात बेदखल कर कब्जा करने, नींव सींव तोड़ फोड़ करने, मौका सूरत बदलने,त्र जबरन कच्चा पक्का निर्माण करने, विक्रय करने स बाज रहे तथा तादौराने वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर अलग अलग दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री प्रभातीलाल उपस्थित हुए व बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन में उल्लेख किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 5, 7 ता 16 से दुरभि संधि करके असत्य कथनों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ना तो स्व.गोविन्दाराम का वारिस है ना ही वादग्रस्त आराजियात का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात् जीवित रहा है बल्कि संवत् 1998–99 में ही गोविन्दाराम का स्वर्गवास हो गया था तथा वादग्रस्त कृषि भूमियां गोविन्दाराम के जीवनकाल में ही उसके दोनों पुत्र सुरजा व चन्दा काबिज थे जिन्हें बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके थे परन्तु प्रथम भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान संवत् 1998 की खतौनी में गलती से गोविन्दाराम का नाम अंकित कर दिया जिसका अन्यथा कोई प्रभाव नहीं था। जिस कारण प्रार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने का कोई लोकस्टण्डाई नहीं है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही गोविन्दाराम की मृत्यु हो जाने व मृत्यु के पश्चात् उतराधिकार खुल जाने के कारण हिन्दू उतरायिधकार अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। ग्राम परडोली छोटी तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नं. 283, 284, 304 अवस्थित है जिस पर स्व. गोविन्दाराम का अपने जीवनकाल में अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व कभी भी कब्जा नहीं रहा है बल्कि उसके पुत्रगण सुरजा व चन्द्रा ही काश्त करते थे तथा लगान जागीरदार को अदा करते थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात् लगान सरकार कारे अदा करते रहे है। खसरा गिरदावरी संवत! 2011 से 2034 तक लगातार

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

उन्हीं के द्वारा काश्त किया जाना अंकित है जो कि कब्जे का एक निश्चयात्मक सबूत है तथा सुरजा की मृत्यु के पश्चात् उसके 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को प्राप्त हुआ। उन्हीं को कब्जा विक्रय के दिन तक निरन्तर रहा है तथा विक्रय के पश्चात् से अप्रार्थी सं. 1 उक्त 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है जिसस कारण प्रार्थी को उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी ना तो वादगरस्त भूमियों का सहखातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा है ना ही उसका किसी भूभाग पर कब्जा है। अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र संतान नहीं होने एवं एक पुत्री मोहनी विकलांग होने के कारण अप्रार्थी सं. 5 व 7 अप्रार्थी सं. 2 के पति के स्वर्गवास के पश्चात् से ही हैरान परेशान करते रहे है तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को उनके पति/पिता की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त 1/2 हिस्सा की भूमि को हड़पने की कुचेष्टा में लगे रहे है जिसके चलते अप्रार्थी सं0 7चन्द्रारामने पहले तो वर्ष 2004 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष वादपत्र बउनवानी चन्द्रा बनामचन्द्रा देवी आदि दावा सं. 149/2004 प्रस्तुत किया जिसकें अपने आपको एवं अप्रार्थी सं. 2 को (उक्त आवेदन की अप्रार्थी सं. 1) शामलाती काश्त करना बताया। उक्त आवेदन साक्ष्य के अभावस में दिनांक 01.12.2007 को खारिज कर दिया तथा दूसरा वाद अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 5 शंकर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख) सीकर के समक्ष दतक ग्रहण की उद्घोषणा का प्रस्तुत करवाया जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश करवाया जो खारिज कर दिया। इसके पश्चात् वाद सं. 53/2008 बउनवानी बनारसी आदि बनाम चन्द्रा आदि माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कियां। उक्त दावों से तंग आकर अप्रार्थी सं. 2 ता 4 ने अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 को बेचानप कर कब्जा संभलवा दिया। फिर भी अप्रार्थी सं. 5 ता 7 अपने कुउद्देयों की पूर्ति करने से बाज नहीं आ रहे है जिन्होंने सद्भावी क्रेता अप्रार्थी सं. 1 कोनुकसान पहुंचाने की गरज से दुरभि संधि करके यह विचारापधीन आवेदन प्रस्तुत करवाया है तथा एक अन्य दावा चिमनाराम बनाम शंकर आदि भी प्रस्तुत करवा रखा है। अनकों झूंठे फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाये है तााकि अप्रार्थी सं. 1 तंग आकर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 5 व 7 को बेचान कर दें जबकि अप्रार्थी सं. 1 बोनाफाईड परचेजर है। जिसने पर्याप्त प्रतिफल राशि अदा कर भूमि क्रय की है जिसकी भूमि पर प्राथ्र्थी अथवा अन्य अप्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ना ही प्रार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार है। इसलिए आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने आवेदन के जवाब के तथ्यों के दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का विवादित आराजियात पर न तो कब्जा काश्त है ना ही रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के अभाव में आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील अप्रार्थी ने

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

अपने तथ्यों के समर्थन में आर. आर. टी 2014(1) पेज सं0 97, आर आर. टी 2012(2) पेज सं0 1114, आर. आर. टी 2010(3) पेज सं0 1210, आर. आर. टी 2013(2) पेज सं0 828, आर. आर. टी 2003(2) पेज सं0 1267, आर. आर. टी 2003(1) पेज सं0 382, पेश कि।

4. हमने वकुलान फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा प्रस्तुत नजीरो का गहनता से अवलोकन किया गया। दोनों पत्रावलियों में प्रार्थी चिमनाराम व शिवपाल खातेदार गोविन्दाराम का वंशज के रूप में अलग अलग दावा व टीआई पेश किये गये है। विवादित आराजेयात ग्राम परडोली छोटी तहसील व जिला सीकर की भूमियां है। विवादित आराजियात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी चिमनाराम व प्रार्थी शिवपाल का नाम काश्त के रूप में खसरा गिरदावरियों में भी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी चिमनारामव उनके वारिसान व प्रार्थी शिवपाल का होकर अप्रार्थीगण का है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी चिमनाराम व उनके वारिसान तथा शिवपाल को न होकर अप्रार्थीगण को ही है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीयान को दावा में गुणावगुण के आधार पर हक अधिकार प्राप्त होंगे उसका नियमानुसार निस्तारण किया जा सकेगा। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी चिमना व प्रार्थी शिवपाल का प्रथमदृष्टया मामला खारिज योग्य है तथा दोनों आवेदन पत्रों के तथ्य व भूमियां एक ही होने से एक ही निर्णय से निस्तारण किया जाता है। अतः प्रार्थी शिवपाल व प्रार्थी चिमनाराम का आवेदन बाबत अस्थई निषेधाज्ञा सारहीन, तथ्यों से परे व राजस्व रिकार्ड खातेदार के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति अन्य टीआई चिमनाराम बनाम मोबाराम मु.नं. 110/09 में रखी जावें।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह निर्णय आज दिनांक 30/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर, (द्वितीय) सीकर